



संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/061/03/2021

Ref. No: IRDAI/HLT/REG/CIR/061/03/2021

दिनांक/Date: 24.03.2021

**परिपत्र**  
**Circular**

प्रति / To,

सभी जीवन, साधारण और स्टैण्डएलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (एआईसी व ईसीजीसी के सिवाय)  
All Life, General and Stand Alone Health Insurers (Except AIC and ECGC)

**विषय: अल्पकालिक कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पालिसियों की बिक्री और नवीकरण के लिए समय सीमा का विस्तार**

**Re: Extension of timelines for sale and renewal of short term Covid specific health insurance policies**

1. सभी बीमाकर्ताओं द्वारा पेश किये जाने के लिए अनुमति प्राप्त अल्पकालिक कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पालिसियों की ओर संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

Reference is invited to the short-term Covid specific health insurance policies permitted to be offered by all Insurers.

2. परिपत्र संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/156/06/2020 दिनांकित 23.06.2020 के कोविड-19 विशिष्ट रोगों को कवर उपलब्ध करा रही अल्पकालिक स्वास्थ्य बीमा पालिसियों को आरंभ करने के संबंध में दिशा-निर्देशों की धारा 5 के आंशिक संशोधन के साथ, सभी बीमाकर्ताओं को 30.09.2021 तक, अल्पकालिक कोविड विशिष्ट स्वास्थ्य पालिसियों की पेशकश करने और नवीकरण की अनुमति दी जाती है।

In partial modification of Clause 5 of Guidelines on introduction of short-term health insurance policies providing coverage for COVID-19 specific diseases of Circular ref.no: IRDAI/HLT/REG/CIR/156/06/2020 dated 23.06.2020 all insurers are permitted to offer and renew short-term Covid specific health policies up to 30.9.2021.

3. तदनुसार, परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/163/06/2020 दिनांकित 26.09.2020 की कोविड मानक क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य पालिसी के संबंध में दिशा-निर्देशों के अनुसार पेश की गयी कोरोना कवच पालिसियों और परिपत्र संदर्भ, सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/164/06/2020 दिनांकित 26.06.2020 के कोविड मानक लाभ आधारित स्वास्थ्य पालिसी के संबंध में दिशा-निर्देशों के अनुसार पेश की गयी कोरोना रक्षक पालिसियों को, सभी बीमाकर्ताओं द्वारा 30.09.2021 तक पेश किये जाने और नवीकृत करने की अनुमति दी जाती है।

Accordingly, Corona Kavach Policies offered as per Guidelines on Covid Standard Indemnity based Health Policy of Circular ref no. IRDAI/HLT/REG/CIR/163/06/2020 dated 26.09.2020 and Corona Rakshak Policies offered as per Guidelines on Covid Standard benefit based Health Policy of Circular ref no. IRDAI/HLT/REG/CIR/164/06/2020 dated 26.06.2020 are permitted to be offered and renewed by all insurers up to 30.9.2021.



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND  
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

4. अन्य सभी नियम और शर्तें, संबंधित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत जैसा निर्दिष्ट किया गया है, वैध रहेंगी।  
All other terms and conditions remain valid as specified under the respective guidelines.

5. इसको सक्षम अधिकारी की स्वीकृति है।  
This has the approval of competent authority.

हस्ता. / Sd/-  
(डी वी एस रमेश / DVS RAMESH)  
महाप्रबंधक (स्वास्थ्य) / GENERAL MANAGER (Health)